

## इंस्टा पर प्राइवेसी खत्म, इंस्टाग्राम ने 2023 में शुरू किया था फीचर मेटा ने ऐलान किया- एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट फीचर 8 मई से बंद होंगे

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट फीचर 8 मई 2026 के बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी इस तारीख के बाद इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज (DM) में यह सुरक्षा फीचर उपलब्ध नहीं रहेगा। यह जानकारी खुद इंस्टाग्राम के आधिकारिक हेल्प पेज पर दी गई है, जहां साफ कहा गया है कि 8 मई 2026 के बाद इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सपोर्ट नहीं करेगा। अगर किसी यूजर की चैट इस फीचर के तहत है, तो उन्हें पहले से नोटिफिकेशन मिलेगा और वे अपने चैट डेटा को डाउनलोड भी कर सकेंगे। इंस्टाग्राम ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर को 2023 के आसपास अपने मैसेजिंग सिस्टम में

जोड़ना शुरू किया था। शुरुआत में यह फीचर सभी के लिए डिफॉल्ट नहीं था बल्कि यूजर्स को इसे अलग से ऑन करना पड़ता था। इस फीचर को ऑन करने के बाद बातचीत एक अलग एन्क्रिप्टेड चैट में होती थी और उसमें अतिरिक्त सुरक्षा विकल्प भी मिलते थे, लेकिन अब कंपनी ने इसे पूरी तरह हटाने का फैसला लिया है। आधिकारिक तौर पर भले ही मेटा ने इस फैसले को कम इस्तेमाल से जोड़ा है, लेकिन टेक इंडस्ट्री में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि एन्क्रिप्शन हटने से प्लेटफॉर्म के लिए मैसेजिंग डेटा को प्रोसेस करना आसान हो सकता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होने पर प्लेटफॉर्म खुद यूजर्स के मैसेज नहीं पढ़ सकता, इसलिए उस डेटा का इस्तेमाल किसी भी तरह के विश्लेषण या AI सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करना संभव नहीं होता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि



एन्क्रिप्शन हटने के बाद तकनीकी रूप से प्लेटफॉर्म के पास मैसेज स्कैन करने और डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे कंपनियां मैसेजिंग सिस्टम को बेहतर बनाने, कंटेंट मॉडरेशन करने या AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एन्क्रिप्शन हटने से प्लेटफॉर्म

को मैसेज स्कैन करने और संदिग्ध या अवैध कंटेंट का पता लगाने में आसानी होती है। हालांकि प्राइवेसी को लेकर मेटा पहले भी विवादों में घिर चुकी है। हाल ही में कंपनी के RayBan Meta AI Glasses को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इन स्मार्ट ग्लासेस से रिकॉर्ड हुई वीडियो और फोटो का इस्तेमाल

एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए किया जा रहा था और इसके लिए ह्यूमन रिव्यूअर्स भी फुटेज देखते थे। एक जांच में सामने आया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स उन वीडियो को देखते थे जिनमें बेहद निजी पल भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इन फुटेज में लोगों के घर के अंदर के फुटेज, बाथरूम में रिकॉर्ड हुए पल या अन्य सेंसिटिव मोमेंट्स भी शामिल थीं। इन डेटा का इस्तेमाल एआई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा था, जिससे प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल उठे। इतना ही नहीं, इन स्मार्ट ग्लासेस में मौजूद कैमरों को लेकर यह भी चिंता जताई गई कि लोग अनजाने में रिकॉर्ड हो सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य चश्मे की तरह दिखते हैं और आसानी से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे भविष्य के लिए एक बड़ा प्राइवेसी खतरा बताया है।

इंस्टाग्राम के इस फैसले के बाद कई यूजर्स के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या मेटा अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही कदम उठाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं है। मेटा के दूसरे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पहले की तरह जारी रहेगा और यह वहां डिफॉल्ट रूप से लागू है। अगर आप इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट का इस्तेमाल करते हैं तो 8 मई 2026 से पहले अपने चैट का बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इसके लिए यूजर्स को नोटिफिकेशन और डाउनलोड करने का विकल्प देगा। इंस्टाग्राम का यह फैसला सोशल मीडिया प्राइवेसी को लेकर नई बहस को जन्म दे रहा है। कई टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस सुरक्षा और मॉडरेशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश

**क्या है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन**

एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जिसमें मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति उसे पढ़ नहीं सकता। यहां तक कि प्लेटफॉर्म चलाते वाली कंपनी भी उन मैसेज को नहीं देख सकती। इस तकनीक में मैसेज भेजते समय वह एक कोड में बदल जाता है और केवल रिसीवर के डिवाइस पर ही डिक्रिप्ट होता है। इसी वजह से इसे डिजिटल बुनिया में सबसे मजबूत प्राइवेसी सुरक्षा माना जाता है। सिग्नल और वॉट्सएप जैसे कई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर्स की बातचीत पूरी तरह निजी रह सके।

**मेटा ने क्यों लिया फैसला**

इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा का कहना है कि इस फीचर का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे थे। इसलिए कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी यूजर्स को पहले से नोटिफिकेशन भी भेज रही है। ताकि वे चाहें तो अपने एन्क्रिप्टेड चैट्स और मीडिया फाइल्स डाउनलोड कर सकें।

**यूजर्स पर क्या असर होगा**

8 मई 2026 के बाद इंस्टाग्राम पर भेजे जाने वाले मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होंगे। यानी तकनीकी रूप से यह मैसेज प्लेटफॉर्म के सर्वर पर प्रोसेस होंगे। हालांकि कंपनियां आमतौर पर दावा करती हैं कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। फिर भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटने से प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि यह फीचर मैसेजिंग को सबसे ज्यादा सुरक्षित बनाता है।

करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

## नई श्रम संहिता से कंपनियों में फिक्स्ड-टर्म रोजगार बढ़ने की आस 75% कंपनियां संरचित रोजगार को अपनाने के लिए तैयार, तैयारियों में अब भी अंतर

एजेंसी | मुंबई

भारत में नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद कंपनियों के कार्यबल में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। HR समाधान प्रदाता Genius HRTech की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत कंपनियां संरचित फिक्स्ड-टर्म रोजगार मॉडल को अपनाने की उम्मीद कर रही हैं। इसका मतलब है कि कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के रोजगार को अधिक औपचारिक, नियम-

आधारित और दस्तावेजीकृत तरीके से प्रबंधित करने की दिशा में बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव नई श्रम संहिताओं के जवाब में एक रणनीतिक कदम है। सरकार ने नवंबर 2025 में कुल 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार प्रमुख संहिताओं - वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और पेशागत सुरक्षा में समेकित किया। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, नियमों को आधुनिक बनाना और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाना

है। रिपोर्ट में 1,459 कंपनियों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर बताया गया कि 40 प्रतिशत कंपनियां पूरी तरह तैयार हैं नई संहिताओं को लागू करने के लिए, 22 प्रतिशत आंशिक रूप से तैयार हैं, 17 प्रतिशत

प्रारंभिक तैयारी चरण में हैं, और 21 प्रतिशत ने अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनियों में तैयारियों और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग 46 प्रतिशत कंपनियां ने अपने HR, पेरोल और अनुपालन सिस्टम का संरचित गैप विश्लेषण तक नहीं किया, जबकि केवल 18 प्रतिशत ने यह कार्य पूरा किया है। 21 प्रतिशत इस प्रक्रिया में हैं और 15 प्रतिशत

अभी योजना बना रहे हैं। वेतन कोड सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है, क्योंकि 67 प्रतिशत कंपनियों ने इसे कार्यबल संरचना पर सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। इससे वेतन परिभाषा, पेरोल संरचना और अनुपालन प्रक्रियाओं में बदलाव की उम्मीद है। इस परिवर्तन के बावजूद, 60 प्रतिशत कंपनियां मानती हैं कि नई श्रम संहिताएँ रोजगार को औपचारिक बनाने और अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

## फरवरी में बिके 18 लाख से ज्यादा टूट्हीलर स्कूटर्स की सेल 42.3 परसेंट बढ़ी

समर न्यूज़ | नई दिल्ली

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए फरवरी शानदार महीना रहा है। इस महीने ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बेहतरीन सेल की है। SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) ने बताया कि फरवरी 2026 में इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड सेल की है। टू-व्हीलर मार्केट की बात करें, तो इस सेक्टर की ग्रोथ 35.12 परसेंट है। सभी कंपनियों ने कुल 18,71,406 यूनिट्स बेची

हैं। पिछले साल फरवरी में कंपनियों ने 13,84,605 यूनिट्स बेची थी। कैटेगरी के हिसाब से बात करें, तो स्कूटर्स की सेल 42.13 परसेंट बढ़ी है। कंपनियों ने 7,29,774 यूनिट्स बेची हैं। वहीं मोटरसाइकिल की सेल 30.18 परसेंट बढ़ी है। कंपनियों ने कुल 10,96,537 यूनिट्स बेची हैं। सबसे ज्यादा टू-व्हील्स हीरो मोटोकॉर्प ने बेचे हैं। कंपनी ने फरवरी 2026 में कुल 4,57,826 यूनिट्स बेची हैं। वहीं दूसरे नंबर पर होंडा टू-व्हील्स हैं, जिन्होंने 4131

लाख गाड़ियों को बेचा है। ये आंकड़े रिटेल सेल्स के हैं। तीसरे नंबर पर TVS है। कंपनी ने फरवरी 2026 में कुल 3,33,935 यूनिट्स बेची हैं। वहीं बजाज ने 1,80,846 यूनिट्स और सुजुकी ने 94,398 यूनिट्स को बेचा है। 6वें पायदान पर रॉयल एनफील्ड है, जिसने 91,216 यूनिट्स को बेचा है। ओला को छोड़ दे तो इस महीने सभी टू-व्हीलर कंपनियों की सेल बढ़ी है। इलेक्ट्रिक टू-व्हील्स की 1,11,709 यूनिट्स फरवरी महीने में बिकी हैं।

## क्रोम में 2 बड़ी खामियां, 350 करोड़ यूजर्स को अपडेट करने की सलाह

समर न्यूज़ | लुधियाना

गूगल ने अपने Chrome ब्राउजर को लेकर एक इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। कंपनी ने बताया है कि ब्राउजर में दो गंभीर कमजोरियां (CVE-2026-3909 और CVE-2026-3910) मिली हैं, जिन्हें हैकर्स सक्रिय रूप से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसे Zero-Day Vulnerability कहा जाता है, यानी पैच आने से पहले ही इसका गलत इस्तेमाल संभव है। दुनिया भर में 3.5 अरब से अधिक यूजर्स Chrome का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में तुरंत अपडेट करना बेहद जरूरी है। ■ **खतरे की गंभीरता को समझें** गूगल ने कहा है कि इन कमजोरियों का इस्तेमाल कर हैकर्स ब्राउजर को टारगेट कर सकते हैं और संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना सकते हैं। कंपनी ने तकनीकी डिटेल्स साझा नहीं की हैं ताकि हैकर्स पैच से पहले इसका फायदा न उठा सकें।

**ब्राउजर क्यों होते हैं टारगेट** ब्राउजर इंटरनेट का मुख्य गेटवे हैं- सर्चिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वेब एप्लिकेशन तक पहुंच इन्हें से होती है। Chrome का सबसे बड़ा मार्केट शेयर होने के कारण यह साइबर अपराधियों का पसंदीदा टारगेट है।

**यूजर्स के लिए सावधानियां** तुरंत Chrome को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें। संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें। ऑटोमैटिक अपडेट ऑन रखें। अकाउंट्स में असामान्य गतिविधि पर नजर रखें।

**एक्सपर्ट्स की चेतावनी** साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों का कहना है कि इन कमजोरियों का इस्तेमाल कर हैकर्स सेशन हाइजैकिंग और एडवांस फिशिंग अटैक्स कर सकते हैं, जो मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बायपास कर सकते हैं। गूगल ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है और अपने प्रोडक्ट्स में उच्चतम स्तर की सुरक्षा बनाये रखने के लिए काम कर रहा है।

समर न्यूज़ | अहमदाबाद

गुजरात ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल की है। अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर धोलेरा स्मार्ट सिटी के बावलियारी गांव से राज्य का पहला 'साउंडिंग रॉकेट' सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोहवाडिया विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस उपलब्धि को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताया। ■ **‘मेक इन इंडिया’ के तहत स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन** यह रॉकेट अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप ‘ओमस्पेस रॉकेट एंड एस्प्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड’ (OSRE) द्वारा विकसित किया गया है। ‘मेक इन इंडिया’ पहल को सार्थक करते हुए, इस रॉकेट का एयरफ्रेम कार्बन फाइबर और उन्नत मिश्रित सामग्री (composite material) से तैयार किया गया था। यह लॉन्चिंग निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में गुजरात के बढ़ते प्रभाव

और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ■ **सफल लॉन्चिंग और सिस्टम का परीक्षण** 14 मार्च, 2026 को दोपहर 1:00 बजे एक अस्थायी लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इस सिंगल-स्टेज सब-ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया गया। यह रॉकेट लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इस उड़ान के दौरान प्रोपल्शन, एवियोनिक्स और

**क्या है साउंडिंग रॉकेट और इसका उपयोग?** साउंडिंग रॉकेट आमतौर पर एक या दो चरणों वाले सॉलिड-प्रोपेलेंट रॉकेट होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (50 से 1500 किमी तक) में वैज्ञानिक प्रयोगों, मौसम अनुसंधान और कई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए किया जाता है। कम लागत में और तेजी से सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए इसे सबसे विश्वसनीय माध्यम माना जाता है।

विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय तटरक्षक बल और DGCA जैसे संस्थानों की अनुमति और सहयोग से यह मिशन पूरा हुआ। मंत्री अर्जुन

मोहवाडिया ने इस सफलता पर युवा वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी साझा किया।

### पेज 3 एंकर स्टोरी

### बढ़ती मिलावट की शिकायतों को देखते हुए फैसला, सिर्फ सहकारी समितियों को छूट

## FSSAI ने दूध कारोबार के लिए लाइसेंस को किया अनिवार्य

समर न्यूज़ | नई दिल्ली

देशभर में दूध और डेरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना उचित पंजीकरण या लाइसेंस के दूध का कारोबार नहीं कर सकेगी। डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को लाइसेंस नहीं लेना होगा यानी जो किसान या पशुपालक किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति से जुड़े हैं और उन्हें दूध देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत

रूप से अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य खाद्य आयुक्तों को एडवाइजरी जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एफएसएसएआई ने बताया कि कुछ दूध उत्पादक और दूध विक्रेता खुद को पंजीकृत किए बिना या लाइसेंस लिए बिना कारोबार कर रहे हैं। इसके लिए राज्य के खाद्य आयुक्तों से कहा गया है कि पंजीकरण-लाइसेंस की जरूरतों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने केंद्र और राज्यों के सक्षम

प्राधिकरणों से कहा है कि वे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह जांच

करने का निर्देश दें कि ऐसे सभी दूध उत्पादक और दूध बेचने वालों

के पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस है कि नहीं। इसके साथ

प्राधिकरण ने उन्हें समय-समय पर दूध ठंडा करने वाले उपकरणों का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि खराब होने से बचाने और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए सही भंडारण तापमान सुनिश्चित किया जा सके। एफएसएसएआई ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में कार्रवाई हो सकती है। राज्यों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में राज्य के खाद्य आयुक्तों को नियमित आधार पर दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए विशेष आदेश को अमल में लाने का

अभियान चलाने का निर्देश दिया था। देशभर में दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दूध उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना उचित पंजीकरण या लाइसेंस के दूध का कारोबार नहीं कर सकेगी। डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को लाइसेंस नहीं लेना होगा यानी जो किसान या पशुपालक किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति से जुड़े हैं और उन्हें दूध देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

Good DAY

समर न्यूज़ | लुधियाना

आपका दिन मुस्कान से शुरू हो, सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे और खुबसूरत पलों के साथ समाप्त हो। आत्मविश्वास बनाए रखें, दयालु रहें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें। आपको आज सुख, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।  
**कुकू ग्रेवाल समाज सेविका**